



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 15, मंगलवार, शाके 1937-जनवरी 5, 2016
Pausa 15, Tuesday, Saka 1937-January 5, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 28, 2015

संख्या प. 23 (2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.23(2) चिस्वा/ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 10-04-2014 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प. 23(2)चिस्वा/ ग्रुप-3/2003 पार्ट दिनांक 1-07-2003, जिसके द्वारा राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी, के क्रम संख्या 3 के लिए राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत) के रूप में श्री उत्तम चन्द शर्मा, उप सचिव, विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को मनोनीत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

513

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।